

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक प.15(32)ज0सं0/2016

जयपुर दिनांक : 29.9.2016

—: आदेश :-

जल संसाधन विभाग के निम्नलिखित मुख्य अभियंता जो अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 30.09.2016 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम-151 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.03.2015 में विहित प्रावधानों/दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत पे माईनस पेंशन(Pay minus pension) के आधार पर दिनांक 01.10.2016 से एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति/पदस्थापन अथवा दोनों में से जो भी पहले हो, मुख्य अभियंता पद पर पुनर्नियुक्त किये जाने के एतद्वारा आदेश जारी किये जाते हैं। पुनर्नियुक्ति पर इन अधिकारियों का पदस्थान निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं	नाम अधिकारी	पदस्थापन स्थान
1	श्री विनोद शाह	मुख्य अभियंता एवं अति० सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर (स्वयं की सेवानिवृत्ति से होने वाले रिक्त पद पर)
2	श्री अनिल कुमार शर्मा	मुख्य अभियंता, गुण नियंत्रण एवं सतर्कता, जल संसाधन, जयपुर (स्वयं की सेवानिवृत्ति से होने वाले रिक्त पद पर)
3	श्री दीपक कुमार दोषी	मुख्य अभियंता, राजस्थान रिवर बेसिन एण्ड वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग ऑथोरिटी, जयपुर (स्वयं की सेवानिवृत्ति से होने वाले रिक्त पद पर)

यह आदेश कार्मिक विभाग की आई.डी. संख्या 941/कार्मिक/क-2 दिनांक 29.08.2016, वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101603529 दिनांक 15.09.2016 एवं मुख्यमंत्री कार्यालय की आई.डी. संख्या 16003296 दिनांक 16.09.2016 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किये गये हैं।

आज्ञा से,




(पंकज ओझा)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा० मंत्री, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान रिवर बेसिन एण्ड वाटर प्लानिंग ऑथोरिटी, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
7. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राज० जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, गुण नियंत्रण एवं सतर्कता, जल संसाधन, जयपुर।
9. मुख्य अभियंता, राजस्थान रिवर बेसिन एण्ड वाटर प्लानिंग ऑथोरिटी, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारी।
11. रक्षित पत्रावली।



सहायक शासन सचिव